

348

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन भोपाल

क्रमांक /आउशि/निक/09  
प्रति,

भोपाल,दिनांक 01/04/09

समस्त अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा,  
मध्यप्रदेश

समस्त प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश

**विषय:-अतिथि विद्वानों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में ।**

-0-

अतिथि विद्वानों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात बड़ी संख्या में आवेदक आयुक्त कार्यालय पहुँच कर शिकायत प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे न केवल उन्हें आने जाने में अत्यंत परेशानी होती है अपितु आयुक्त कार्यालय के कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

अतः यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आवेदक को कोई शिकायत होने पर सर्वप्रथम उसका परीक्षण स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा किया जायें तथा आवेदक उससे संतुष्ट न हो तो उसे प्रमाण सहित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के पास भेजा जाये, जो आवेदक के दस्तावेज देखकर प्रकरण में निर्णय लेंगे । यदि अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्णय से भी आवेदक असंतुष्ट है तो उसे अतिरिक्त संचालक महोदय के पास समस्त दस्तावेज तथा अग्रणी महाविद्यालय के रिपोर्ट के साथ भेजा जायें ताकि उभय पक्षों के दस्तावेज का परीक्षण कर अतिरिक्त संचालक प्रकरण में निर्णय ले सकें ।

प्राप्त शिकायतों की जानकारी प्रतिदिन अतिरिक्त संचालक, ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

कृपया इस परिपत्र की जानकारी सभी आवेदकों को देने का कष्ट करें तथा महाविद्यालय में नोटिस बोर्ड तथा परिपत्र को घसपा कर सभी के ध्यान में लायें ।

*Ashish*  
I. P. Rana

( आशीष उपाध्याय )  
आयुक्त,  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश